संचिका संख्या–01/स्था०विविध०–39/2022 1452

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

प्रीति सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी,

प्रेषित,

श्री वेदव्रत कुमार, संयुक्त ईखायुक्त,
श्री संदीप कुमार सिंह, कार्यालय परिचारी।

पटना, दिनांक–25 जुलाई, 2026

विषयः– **ससमय कार्यालय में उपस्थिति एवं प्रस्थान दर्ज करने के संबंध में।**

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–16458 दिनांक–12.09.2022, एवं पत्रांक–6940 दिनांक–17.04.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि गत् माह मई, जून 2026 में **Biometric Attendance** के माध्यम से आपके द्वारा कतिपय कार्य दिवसों में विलम्ब से उपस्थिति/समय से पूर्व प्रस्थान दर्ज किया गया है, जो काफी खेदजनक है।

Biometric उपस्थिति से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री वेदव्रत कुमार, सहायक ईखायुक्त–सह–संयुक्त ईखायुक्त का माह जून 2026 में कुल 03 दिनों तक एक घंटा विलम्ब से उपस्थिति दर्ज होने के कारण उनके पक्ष में संचित आकस्मिक अवकाश में से 1/2 CL की कटौती/विकलित की जाती है।

श्री संदीप कुमार सिंह, कार्यालय परिचारी, प्रतिनियुक्त गन्ना उद्योग विभाग–सम्प्रति–कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर द्वारा मई 2026 में कुल 03 दिनों तक एक घंटा विलम्ब से उपस्थिति दर्ज होने के कारण उनके पक्ष में संचित आकस्मिक अवकाश में से 1/2 CL की कटौती/विकलित की जाती है।

अतएव प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा निर्धारित समय पर **Biometric Attendance** के माध्यम से उपस्थिति/प्रस्थान करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

P.T.O.

ज्ञापांक–01/स्था०विविध०–39/2022 1452 पटना, दिनांक–24 जुलाई, 2026

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० प्रबंधक गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

(1)

(45)

पत्रांक –3/एम०–60/2022सा०प्र०.16458/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

<u>ई–मेल</u> सेवा में,

<u>सभी विभाग</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>
<u>पुलिस महानिदेशक</u>
<u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त</u>
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12.9. 2022

विषय– बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–15498 दिनांक–01.09.2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 05 दिवसीय/06 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश परिचारित किया गया है।

2. तत्कालीन कार्मिक विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–469 दिनांक–09.07.1975 एवं 675 दिनांक–26.08.1976 द्वारा कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में कतिपय निदेश भी परिचारित है।

3. कतिपय विभागों/कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

4. वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि–

(i) विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार (बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार) की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी को एक महीने में अधिकतम <u>02 दिन विलम्ब</u> से उपस्थित होने की छूट दी जायेगी।

(५५)

(ii) यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग/कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 01 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जायेगी।

(iii) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि विलम्ब से उपस्थिति बार–बार दर्ज किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

(iv) सरकार/सक्षम प्राधिकार के निदेश पर कार्यालय अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय/किसी अन्य न्यायालय/लोकायुक्त का कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने/राज्य सूचना आयोग/किसी अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यस्तता के कारण विलम्ब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है, तो ऐसे विलम्ब की उपेक्षा की जायेगी।

5. अतः बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में उपर्युक्त कंडिका–4 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश अपने अधीनस्थ को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

B Rajender
12-9-2022

(डॉ० बी० राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक–3/एम०–60/2022सा०प्र० 6940 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 17.4. 2026

विषय– **सरकार द्वारा यथाविहित प्रावधानों के आलोक में ससमय कार्यालय आने, कार्यालय अवधि में मनोयोग से सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने एवं कार्यालय अवधि की समाप्ति के बाद ही कार्यालय छोड़ने के संबंध में।**

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3450 दिनांक–02.12.2006 द्वारा पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू करते हुए कार्यालय अवधि 09:30 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है जिसमें अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 बजे तक मध्याह्न भोजन का समय निर्धारित है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–352 दिनांक–25.01.2007 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत नियमित महिला कर्मियों की कार्यालय अवधि 09:30 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है।

2. पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–4754 दिनांक–31.12.2007 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए उक्त वर्णित समयावधि को यथावत् रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय (महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय, प्रमण्डलीय आयुक्त के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में पुनः छः दिवसीय कार्य सप्ताह कार्य प्रणाली लागू की गयी है जिसमें कार्यालय अवधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक (नवम्बर से फरवरी तक 10:30 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक) निर्धारित करते हुए मध्याह्न भोजन का समय 01:30 बजे अपराह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है।

3. बिहार सरकार के कार्यालयों में सरकारी सेवकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग के परिपत्र संख्या–8926 दिनांक–12.08.2022 द्वारा एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–15489 दिनांक–01.09.2022 द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।

4. इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–19930 दिनांक–12.12.2024 द्वारा निम्न निदेश भी संसूचित है–

Scanned with OKEN Scanner

"(i) उक्त संदर्भ में विहित प्रावधानों के अनुश्रवण हेतु कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया जाय तथा अनुपालन नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(ii) उपस्थिति विवरणी के आधार पर विलंब से कार्यालय आने की अवधि हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–16468 दिनांक–12.09.2022 में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुमान्य अवकाशों का समायोजन स्थापना प्रभारी करेंगे। जिन सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में कोई अवकाश शेष न हो, उनके विलंब से कार्यालय आने की स्थिति में, विलंब अवधि के लिए उनके वेतन से नियमानुसार आवश्यक कटौती की जाय। विशेष परिस्थिति में आवश्यक छूट, विभागाध्यक्ष प्रदान कर सकेंगे।

(iii) सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपस्थिति विवरणी से संबंधित स्थापना प्रतिवेदन के आधार पर ही वेतन विपत्र तैयार करेंगे।"

5. उक्त वर्णित निदेशों के बावजूद भी कतिपय कर्मियों द्वारा कार्यालय अवधि में ससमय उपस्थिति/ससमय कार्यालय छोड़ने के प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने अथवा कार्यालय में ससमय उपस्थिति के बावजूद भी कार्यालय अवधि में सरकारी दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने के दृष्टांत सामने आये हैं। यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय है।

6. अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ससमय कार्यालय आने, कार्यालय अवधि में मनोयोग से सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने एवं कार्यालय अवधि की समाप्ति के बाद ही कार्यालय छोड़ने के प्रावधान का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इसके लिए अपने अधीनस्थों को भी निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रत्यय अमृत)
मुख्य सचिव,
बिहार

Scanned with OKEN Scanner